राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Criminal Writ Petition No.314/2019

Manoj Garg

Versus

State Of Rajasthan

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्तागण श्री अनिल उपमन व श्री दिनेश कुमार गर्ग।
लोक अभियोजक श्री प्रशांात शर्मा।

:: आदेश दिनांक :: 08.5.2019

नोटिस जारी हो।

अयाची सं. 1 से 3 की ओर से योग्य लोक अभियोजक नोटिस स्वीकार करते हैं।

अयाची संख्या–**4** को नोटिस जारी हो।

याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पक्षों के मध्य फलेट के बाबत इकरारनामा निष्पादित होने के पश्चात निरस्त हो चुका है तथा परिवादी से जो अग्रिम राशि ली गयी थी वह जरिए चैक परिवादी को लौटा दी गई है जो परिवादी द्वारा प्राप्त कर ली गयी है। उनका यह भी कथन रहा कि बकाया राशि के क्रम में याची के द्वारा चैक नंबर 001144 राशि 9,21,000/–रूपये दिनांक 25.5.2019 व चैक नंबर 001145 राशि 9,21,225/–रूपये दिनांक 25.6.2019 दे दिये गये हैं। उनका यह भी कथन रहा कि चैक की राशि के भुगतान के क्रम में याची की ओर से वे यह अण्डरटेकिंग देते हैं कि चैक के अनादरित होने की स्थिति में वे धारा 138 एन आई

एक्ट के अतिरिक्त अन्य जो भी संबंधित कानूनी प्रावधान होंगे, उनका परिणाम प्रार्थी भुगतने को तैयार रहेगा। अतः याची के विरूद्ध बलपूर्वक/प्रतिरोधी कार्यवाही **(coercive steps)** नहीं किये जाने का निर्देश दिया जावे।

योग्य लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया।

सुना गया एवं विचार किया गया।

विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा चैक की राशि के भुगतान के क्रम में जो तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, उन्हें यथावत अभिलेख पर लिया जाता है। याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा दी गई उक्त अण्डरटेकिंग की रोशनी में मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**73/2019** पुलिस थाना, **मानसरोवर, जयपुर शहर (दक्षिण)** में अनुसंधान के क्रम में याची **मनोज गर्ग** के विरूद्ध आगामी सुनवाई तिथि तक कोई बलपूर्वक/प्रतिरोधी कार्यवाही **(coercive steps)** नहीं किये जाने का निर्देश दिया जाता है।

पत्रावली दिनांक 11.7.2019 को सूचीबद्ध की जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

एम शर्मा–71